

कार्यालय जिलाधीश, गुरुग्राम।

आदेश

Estate Officer-I, HSVP, Gurugram ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 2076 दिनांक 18.04.2019 के द्वारा अनुरोध किया है कि A programme has been chalked out for taking over the possession of booth no 15 & 17 Sector-4, Gurugram As the CWP No 23134 of 2018 filed by the allottee has been dismissed by the Punjab & Haryana High Court, Chandigarh vide order dated 21.02.2019 की कार्यवाही दिनांक 24.04.2019 को प्रातः 11:00 बजे की जानी है उक्त को मध्यनजर रखते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए पुलिस सहायता मय महिला पुलिस प्रदान करने की आवश्यकता है।

अतः मैं, अमित खत्री, भा0प्रा0से0, जिलाधीश गुरुग्राम, उक्त को मध्यनजर रखते हुए जाबता फौजदारी 1973 of (35) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री करतार सिंह नायब तहसीलदार गुरुग्राम (9811010907) को दिनांक 24.04.2019 के लिए उक्त कार्य के पूर्ण होने तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करता हूँ। ड्यूटी मजिस्ट्रेट Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

हस्ता/-

जिलाधीश, गुरुग्राम।

पृ0 क्रमांक 134 / एम0बी0

दिनांक 23/04/19

इसकी एक प्रति निम्न अधिकारियों को भेजकर लिखा जाता है कि उक्त स्थान पर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश (Status quo/Stay order) तो नहीं पारित किया गया है अगर है तो न्यायालय के आदेशों की पालना की जावे तथा नियम अनुसार कार्यवाही करने के लिये सम्बन्धित विभाग की जिम्मेवारी होगी।

1. पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम को भेजकर अनुरोध है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट को 15 पुरुष पुलिस मय 5 महिला पुलिस बल प्रदान करने का कष्ट करें।
2. पुलिस उपायुक्त (मु0), गुरुग्राम।
3. उप-मण्डल अधिकारी (ना0), उत्तर-गुरुग्राम।
4. सम्पदा अधिकारी -I, एच0एस0वी0पी0, गुरुग्राम।
5. श्री करतार सिंह नायब तहसीलदार गुरुग्राम (ड्यूटी मजिस्ट्रेट)
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गुरुग्राम। (जिला गुरुग्राम की Website पर upload करने बारे)
7. आशुलिपिक उपायुक्त, गुरुग्राम।

कृते: जिलाधीश, गुरुग्राम।